न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 284/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/397)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. गुरप्रीत सिंह पुत्र दीप सिंह जाति रामगढिया निवासी डी-33, स्वर्ण पार्क, मुंडका, वेस्ट दिल्ली।	1. राजविन्द्र कौर पुत्री दीप सिंह पत्नी बलजीत सिंह जाति रामगढिया निवासी ए-89-90, नर्सिंग गार्डन, विष्णु गार्डन, तिलक नगर एस ओ, वेस्ट दिल्ली। 2. राजवन्त लाकरा पुत्री दीप सिंह पत्नी धर्मवीर सिंह जाति रामगढिया निवासी हाउस नम्बर 1333, नजदीक शहीद भगत सिंह पार्क, मुंडका, वेस्ट दिल्ली। 3. कुलविन्द्र कौर पुत्री दीप सिंह पत्नी सोमवीर जाति रामगढिया निवासी बी 114 लक्ष्मी पार्क नांगलोई, निलोठी, पश्चिम दिल्ली। 4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 18.08.2025

उपस्थितः 1. श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादी
2.श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

---निर्णय--- **दिनांकः 17.09.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 33 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 6/6 के मुरब्बा नम्बर 54 की कुल 0.253 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 51/54 के मुरब्बा नम्बर 54, 64/27 की कुल 6.007 हैक्टेयर भूमि, राजस्व ग्राम 37 एफ, पटवार हल्का धरंगावाली, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 41/36 के मुरब्बा नम्बर 4, 6, 7, 55/37 की कुल 1.367 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता दीप सिंह पुत्र वचित्र सिंह के नाम एकल खातों में दर्ज है। पक्षकारान के पिता दीप सिंह का दिनांक 28.12.2024 व माता स्वर्णजीत कौर का दिनांक 08.12.2024 को स्वर्गवास हो चुका है। दोनों के स्वर्गवास के बाद उनके विधिक उताराधिकारी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 कुल 4 वारिसान है। इनके अलावा प्रथम श्रेणी के अन्य कोई वारिस नहीं है। पक्षकारान के माता-पिता ने अपने जीवनकाल में ही उक्त कृषि भूमि का मौखिक विभाजन कर दिया था। जिसके अनुसार राजस्व ग्राम 33 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 6/6 के मुरब्बा नम्बर 54 की कुल 0.253 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 51/54 के मुरब्बा नम्बर 54, 64/27 की कुल 6.007 हैक्टेयर भूमि, राजस्व ग्राम 37 एफ, पटवार हल्का धरंगावाली, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 41/36 के मुरब्बा नम्बर 4, 6, 7, 55/37 की कुल 1.367 हैक्टेयर भूमि का एकमात्र हकदार वादी गुरप्रीत सिंह ही होगा। मोखिक विभाजन के अनुसार पक्षकारान के माता-पिता के स्वर्गवास के पश्चात मृतक पिता की कृषि भूमि उसके एकमात्र पुत्र गुरप्रीत सिंह वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना तय किया गया था। पक्षकारान के माता-पिता के स्वर्गवास के बाद वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार आग्रह किया कि मौखिक बंटवारानामा अनुसार उक्त कृषि भूमि आपसी सहमति से वादी के नाम दर्ज करवा देवे। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादी को राजस्व ग्राम 33 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 6/6 के मुरब्बा नम्बर 54 की कुल 0.253 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 51/54 के मुरब्बा नम्बर 54, 64/27 की कुल 6.007 हैक्टेयर भूमि, राजस्व ग्राम 37 एफ, पटवार हल्का धरंगावाली, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण,

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 41/36 के मुरब्बा नम्बर 4, 6, 7, 55/37 की कुल 1.367 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर किया जावे एवं उपर्युक्तानुसार अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर को डिक्री पारित की जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी गुरप्रीत सिंह व प्रतिवादीगण राजविन्द्र कौर, राजवन्त लाकरा, कुलविन्द्र कौर के द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर समझौतानामा पेश किया। दोनो पक्षों की पहचान उनके अधिवक्तागण के द्वारा की गई। समझौतानामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनो पक्षों के द्वारा समझौतानामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। समझौतानामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। समझौतानामा के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता मृतक दीप सिंह पुत्र विचित्र सिंह के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 33 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 6/6 के मुरब्बा नम्बर 54 की कुल 0.253 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 51/54 के मुरब्बा नम्बर 54, 64/27 की कुल 6.007 हैक्टेयर भूमि, राजस्व ग्राम 37 एफ, पटवार हल्का धरंगावाली, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 41/36 के मुरब्बा नम्बर 4, 6, 7, 55/37 की कुल 1.367 हैक्टेयर भूमि का खातेदार वादी गुरप्रीत सिंह को घोषित हम पक्षकारान को कोई आपत्ति, एतराज नहीं है। हस्तगत प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण के द्वारा समझौता पत्र पेश किया गया है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादी का वादपत्र दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत समझौता पत्र अनुसार डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादी का वादपत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौता पत्र अनुसार डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादी के वादपत्र मय शपथपत्र, समझौतापत्र मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी का वाद पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौता पत्र मुताबिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी, प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौता पत्र अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 33 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 6/6 के मुरब्बा नम्बर 54 की कुल 0.253 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 51/54 के मुरब्बा नम्बर 54, 64/27 की कुल 6.007 हैक्टेयर भूमि, राजस्व ग्राम 37 एफ, पटवार हल्का धरंगावाली, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 41/36 के मुरब्बा नम्बर 4, 6, 7, 55/37 की कुल 1.367 हैक्टेयर भूमि का वादी गुरप्रीत सिंह पुत्र दीप सिंह को खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 17.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)